भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4943

01.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

दूतावासों के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

4943. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पाकिस्तान प्राधिकरण द्वारा भारतीय दूतावास के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी.मुरलीधरन)

(क) से (घ) सरकार ने समय-समय पर इस्लामाबाद में कार्यरत भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के उत्पीड़न, आक्रामक निगरानी और धमकी की घटनाओं को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया है। पाकिस्तानी पक्ष को हमारे राजनयिक मिशन और उसके अधिकारियों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के संबंधित राजनयिक मिशनों को 'राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961' तथा भारत और पाकिस्तान में कार्यरत राजनयिक/कांसुलर कर्मियों के साथ व्यवहार हेतु द्विपक्षीय 'आचार संहिता', जिस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए और मार्च 2018 में दोनों पक्षों द्वारा इसकी पुन: पुष्टि की गई, के अनुसार सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस सहमति के कार्यान्वयन के संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

***